डिबेंचर ट्रस्टीशिप व्यवसाय

हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हैं जिसकी शाखाएँ संपूर्ण भारत में फैली हुई हैं और हम वर्ष 1979 से सार्वजनिक निर्गम साथ ही नीजी प्लेसमेंट आधार पर विभिन्न कंपनियों/ निगमित निकायों द्वारा जारी बॉड और डिबेंचर के लिए डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में व्यवसाय करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ समुचित रूप से पंजीकृत हैं।

हम डिबेंचर ट्रस्टी सेवाएं प्रदान करते हैं जो डिबेंचरधारकों के हित की सुरक्षा और प्रतिभूति के निर्माण को सुनिश्चित करती हैं।

हमारे ग्राहक प्रसिद्ध कंपनियां है जिन्होने सार्वजनिक निर्गम साथ ही नीजी प्लेसमेंट पर डिबेंचर की विभिन्न श्रृंखलाएं जारी की हैं।

हम निवेशकों की शिकायतों के प्रभावपूर्ण तरीके से निपटान, निर्दिष्ट समय के भीतर प्रतिभूति के निर्माण सहित डिबेंचर ट्रस्टी सेवाओं के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता रखते हैं।

डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में हम डिबेंचरधारकों को निम्नलिखित आश्वासन देते हैं –

- ट्रस्ट संपत्ति की सुरक्षा
- पूछताछ और शिकायतों का पर्याप्त संचलन
- ट्रस्ट विलेख प्रसंविदा के साथ अनुपालन
- शीघ्र वार्षिक प्रमाणपत्र और सेवाएं प्राप्त करना जिनमें देय दिनांक पर डिबेंचरधारकों को कंपनी द्वारा ब्याज तथा मूलधन राशि का भुगतान शामिल है
- निर्मित प्रतिभूति के संबंध में समुचित बीमा कवर प्राप्त
- डिबेंचर ट्रस्ट विलेख का निष्पादन और डिबेंचरों के पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति का निर्माण

कृपया प्रभार/शुल्क इत्यादि और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें –

वरिष्ठ प्रबंधक
विधि विभाग
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
प्रधान कार्यालय
लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर
पुणे – 411 005.
संपर्क क्र. 020 25536356